

राजस्थान सरकार
निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक : एफ.18(आई-24)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2011/57322-53 दिनांक: 21/3/2011

परियोजना प्रबन्धक
जिला जलग्रहण विकास इकाई एवं
अधिसाथी अभियन्ता (भू-संसाधन)
जिला परिषद.....

विषय :- जलग्रहण परियोजनाओं के विकास कार्य सम्पादित करने के सम्बन्ध में।
प्रसंग :- निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 4575-4607 दिनांक 21.2.2011 एवं
4613-43 दिनांक 23.2.2011 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों द्वारा एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं के विकास कार्य सम्पादित करने हेतु कार्य निर्देशिका में उल्लेखित जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित नवीनतम दरों को उपयोग में लेने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेश केवल उप समिति (जलग्रहण) द्वारा सम्पादित कार्यों पर ही लागू है। जिला जलग्रहण विकास इकाई एवं कार्यक्रम कियान्वयन संस्था पर उक्त आदेश लागू नहीं है।

प्रवेश विन्दु गतिविधियों का कार्य उप समिति (जलग्रहण) द्वारा सम्पादित कराये जाये एवं परियोजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप राशि सीधे ही उप समिति (जलग्रहण) के बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाये।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक